

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 94 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. मंगलाराम पुत्र सोनाराम 2. मुकनाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी जोधेश्वर नगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।		1. चैनाराम पुत्र जोगाराम 2. मांगीलाल पुत्र जोगाराम 3. गंगादेवी पत्नि जोगाराम 4. खेताराम पुत्र शिवलाल जातियान सुथार निवासी जोधेश्वर नगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा। 5. करनाराम पुत्र लाखाराम 6. लालाराम पुत्र लाखाराम 7. हेराजराम पुत्र लाखाराम 8. चैनाराम पुत्र उदाराम जातियान जाट निवासी जोधेश्वर नगर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा। 9. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

- श्री अर्जुनराम प्रजापत अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
- विप्रार्थी एकतरफा।

आदेश

दिनांक 26.09.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं,कि प्रार्थीगण का खेत तहसील  
सिणधरी पटवार मण्डल सड़ा के ग्राम जोधेश्वर नगर के खेत खसरा संख्या 15/2 रकबा

3  
उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी



क्रमश 83570 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सड़ा जोधेश्वर नगर के खेत खसरा संख्या 15/2 रकबा क्रमश 83570 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण का सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरान्त भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सड़ा जोधेश्वर नगर के खेत खसरा संख्या 15/2 रकबा क्रमश 83570 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सड़ा जोधेश्वर नगर के खेत खसरा संख्या 15/2 रकबा क्रमश 83570 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया तहसील तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सड़ा जोधेश्वर नगर के खेत खसरा संख्या 15/2 रकबा क्रमश 83570 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डड सहखातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल सड़ा के साम जोधेश्वर नगर के खेत खसरा संख्या 15/2 रकबा क्रमश 8.3570 हैक्टैयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1000/- प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 26.09.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी